दा ०प्र०क्र० 80/2023
शा० वि०हीरालाल यादव

WitnessNo.........04................for......prosecution...............Deposition taken the.16/08/2024..........dayof................Witnessˈsapparent age.....22....Years
States on affirmation........................my name is .बोटी उर्फ कार्तिक नुरेटी...........
son/Wife/D.of..स्व० पनकूराम नुरेटी.......occupation........कृषि........................
address.ग्राम -रांधा थाना केशकाल जिला- कोण्डागाांव छ०ग०......................................
Time03.10pm

शपथपूर्वक कथन–

साक्षी को आज दिनांक 16/08/2024 को शपथ दिलाकर अभियोजन अधिकारी श्री एम०आर० मण्डावी द्वारा मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

1. मै आरोपी हीरालाल यादव को नहीं जानता हूॅ,साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में लगे आरोपी हीरालाल यादव का फोटो दिखाकर पूछे जाने पर भी उसे पहचानने से इंकार किया । मृतक सगरूराम नुरेटी व फुलसिंह नुरेटी को जानता हूॅ सगरूराम मेरे बड़े भैय्या थे,फुलसिंह नरेटी मेरे बड़े पापा थे। प्रार्थी तुलसीराम नुरेटी मेरे चाचा है।

2. आज से छः माह पहले ग्राम सिंगनपुर मेन रोड़ पेट्रोल पंप के सामने की है। मै घटना दिनांक को ग्राम रांधा से सुबह लगभग 9:00 बजे मोटर सायकल से चाचा तुलसीराम के साथ ग्राम हाटचपई जाने के निकला था हमारे पहले बड़े पापा फुलसिंह नुरेटी व भैय्या सगरूराम नुरेटी मोटर सायकल से हाटचपई जाने के लिए निकले थे मै सिंगनपुर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए गया तो देखा रोड़ में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मै पास जाकर देखा तो मेरा बड़े भैय्या सगरूराम का शव पड़ा हुआ था तथा बड़े पापा फुलसिंह नुरेटी को अस्पताल ले गये थे वहां पर भैय्या सगरूराम का मोटर सायकल क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था एवं दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक खड़ा था । कुछ देर बाद मौके पर एम्बुलेंश आया मै गांव वालों के सहयोग से भैय्या सगरूराम के शव को एम्बुलेंश में डाला और एम्बुलेंश के साथ सी०एच०सी० केशकाल लाया ,बड़े पापा फुलसिंह नुरेटी चार पांच दिन बाद ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। भैय्या सगरूराम के शव को केशकाल में छोड़कर मै बड़े पापा फुलसिंह नुरेटी को लेकर कांकेर अस्पताल गया। मै पुलिस को बयान नहीं दिया था।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-4.pdf

<u>इसी स्तर पर अभियोजन की ओर से उपस्थित ए०डी०पी०ओ० श्री एम०आर० मण्डावी ने साक्षी से सत्य बात जानने के लिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अनुमति प्रदान किया गया।</u>

3. यह कहना सही है कि मै अपने चाचा तुलसीराम व दोनों मृतकगण के साथ दो मोटर सायकल से देवी काम से हाटचपई जाने के लिए निकला हुआ था। यह कहना सही है कि भैय्या सगरूराम व बड़े पापा फुलसिंह हमारे आगे आगे जा रहे थे। यह कहना गलत है कि हम लोग घटना स्थल सिंगनपुर पेट्रोल पंप के पास 10.30 बजे पहुंचे थे। यह कहना सही है कि हम लोग देखे ट्रक कोण्डागांव की ओर से आया था। यह कहना गलत है कि ट्रक कोण्डागांव की ओर से तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलते हुये आया और भैय्या सगरूराम व बड़े पापा फुलसिंह को चपेट में ले लिया। यह कहना सही है कि एक्सीडेंट इतना भंयकर था कि भैय्या सगरूराम का तत्काल मृत्यु हो गया। साक्षी को उसके पुलिस बयान प्र०पी० 10 के अ से अ भाग पर दिनांक 13/12/2022..................कथन मेरे बताये अनुसार लिखा गया है का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा बयान पुलिस को दिया हूॅ कहता है।

<u>प्रतिपरीक्षण वास्ते आरोपी हीरालाल यादव द्वारा श्री महेश बघेल अधिवक्ता :–</u>

4. यह कहना सही है कि मेरे पहुंचने के पहले एक्सीडेंट हो गया था। यह कहना सही है कि गाड़ी को कौन चला रहा था मै नहीं देखा था। यह कहना सही है कि किसकी गलती से दुर्घटना कारित हुआ मै नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुझे दुर्घटना कारित वाहन का नंबर नहीं पता। यह कहना

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-4.pdf

सही है कि ट्रक कितनी स्पीड़ में था मै नहीं बता सकता। मै नहीं बता सकता कि पुलिस को बयान दिया था या नहीं। यह कहना सही है कि एक्सीडेंट कितने समय हुआ था मै नहीं बता सकता।

Time 03.31pm

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया गया
सही/–
(श्रीमती अंजली पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
केशकाल ,जिला कोण्डागांव

मेरे निर्देश पर टंकित
सही/–
(श्रीमती अंजली पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
केशकाल ,जिला कोण्डागांव

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-4.pdf